कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

-/3/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश, अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 24/5/24 को पेश हो।

24/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रति० सं० 1, 2, 4, 5, 8 व 9 के अभिवक्ता का बार-बार न्यायालय समय तक आवाज लगवाई गई, इनकी ओर से कोई भी उप० नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु आइंदा दिनांक 28/6/24 को पेश हो।

28/6/24 पत्रावली पेश हुई। ~~[illegible]~~ वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी के दादा की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि परवार हल्का उदलपुरखाटी में स्थित थी, जिसे विक्रय कर 22/11/1988 को ग्राम बसावा में भूरा पुत्र देवू महाजन से तथा 23/09/1989 को सुरेश, शिवचन्द पुत्र सुगनाराम माली से भूमि खरीदकर सामलाती रूप से कब्जा काश्त करने लगे हैं। उक्त खरीदशुदा भूमि में प्रार्थी का भी जन्म से ही हक अधिकार है। अब उक्त शामलाती भूमि को बिना विभाजन करवाये अप्रार्थी सं. 01 विक्रय करने पर आमादा है अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड की यथास्थिति के लिए पाबन्द किया जावे।

बहस एकपक्षीय पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट है कि उदलपुरखाटी स्थित भूमि

P.T.O

कार्यवाही विवरण

आदेश

का विक्रय पत्र तथा बसावा में स्थित दोनों भूमियो को विक्रय पत्र पत्रावली पर मौजूद है। उक्त विक्रय पत्र शामलाती सम्पत्ति बाबत है या नही, उक्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा मूल वाद में साक्ष्य एवं दस्तावेजो के आधार पर तय होना है। लेकिन उक्त पत्रावली में अप्रार्थीगण बावजूद तामील के उपस्थित होने के बाद उनका कोई जवाब/ रवेज प्रस्तुत नही किया है अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में साबित होता है अगर उक्त भूमि मे से कुछ भूमि का बेचान होता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि के मूलवाद के निस्तारण तक खसरा नं० 1676/258, 1679/259, 1680/259, 1682/259, 1675/257, 1677/258, 1681/259 वाके ग्राम बसावा के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 28/6/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार

P.T.O. हस्ताक्षर

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हस्ताक्षर 28/06/21 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़	